



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या:- 95, 96, 97, 98 व 99/2014.....जिला-जयपुर।



उत्नवान- मेसर्स स्टील ऑथेरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड लैण्ड गार्क, महावीर मार्ग,सी स्कीम, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापबंधन, जोन-द्वितीय, जयपुर

तारीख हुवन	हुवन या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवन की तागील में जारी हुए
22.09.2014	<p align="center">खण्डपीठ श्री.सुनील शर्मा, सदस्य श्री मनोहर पुरी, सदस्य</p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरणों अपील संख्या 578 से 582/2014/जयपुर मेसर्स स्टील ऑथेरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, लैण्ड गार्क, महावीर मार्ग,सी स्कीम, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापबंधन, जोन-द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 07.03.2014 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरणों के निस्तारण की समयवधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है ।</p> <p>विभाग की ओर से श्री एन.के.वैद, उप राजकीय अभिभाषक व व्यवहारी की ओर श्री डी.कुमार, बहस हेतु दिनांक 16.09.2014 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में विभाग की ओर से प्रकरणों में समयवधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया,जिस पर व्यवहारी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी ।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व अपीलीय अधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 07.03.2014 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा को इत आदेश प्राप्ति के आगामी दो माह तक के लिए बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा दो माह तक के लिए बढ़ायी जाती है ।</p> <p align="center">निर्णय चुनाया गया ।</p> <p align="center">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p> <p align="center">  (सुनील शर्मा) सदस्य </p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 632, 633, 634 व 635/2014 जिला : जयपुर.....

उत्नवान मैसर्स आर.पी.पारकोंन प्रा.लि.द्वारकापुरी,जमानालाल बजाज मार्ग,सी-स्कीम,जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर,अधिकारी, प्रतिकरापवचन,वार्ड-तृतीय,जोन द्वितीय,जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.09.2014	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री मनोहर पुरी,सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री डी.कुमार,अनिभाषक एंवरवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अनिभाषक उपस्थित।</p> <p>उपरोक्ता चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 11.04.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 39(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर,अधिकारी, प्रतिकरापवचन, वार्ड-तृतीय,जोन द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08,2008-90, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2014 में कायम मांग राशियों क्रमशः रु. 42,79,235/-, 1,11,99,496/-, 33,90,294/-व 20,01,638/- में से रु. 35,00,000/-,1,00,14,000/-रु. 27,88,000/-व 16,62,00/-की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशियों पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में कायम मांग राशियों क्रमशः रु. 42,79,235/-, 1,11,99,496/-, 33,90,294/-व 20,01,638/- में से रु. 35,00,000/-,1,00,14,000/-रु. 27,88,000/-व 16,62,00/-की वसूली पर स्थगन प्रदान पर अवशेष राशियों पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशियों के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशियों की वसूली बाधत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर विस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य </p>	